

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचंद्र बोस

चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, जबलपुर (म. प्र.)

क/स्था/राज/15/ 2934

जबलपुर, दिनांक 13/05/2015

// विज्ञापन //

स्वशासी समिति चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में निम्नांकित सीनियर/जूनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

साक्षात्कार की तिथि

:- प्रत्येक बुधवार पद पूर्ति होने तक

:- वाक इन इन्टरव्यू – सुबह 11:00 बजे

सीनियर रेसीडेंट

क	विभाग	रिक्त पदों की संख्या				
		UR	ST	SC	OBC	Total
1	जिरियोटिक मेडिसिन	01	00	00	00	01
2	स्त्रीरोग विभाग	02	01	00	00	03
3	साइकेट्री	00	01	00	00	01
4	टी.बी. एवं चेस्ट	01	00	00	00	01
5	जनरल सर्जरी	00	00	00	01	01
6	न्यूरोसर्जरी	02	00	01	00	03
7	शिशुरोग विभाग	00	01	00	00	01
8	एनेस्थिसिया	03	01	01	01	06
9	स्किन व्ही.डी.	01	00	00	00	01
10	रेडियोथैरेपी	01	01	00	00	02
11	रेडियोडायग्नोसिस	01	01	00	00	02
12	नेत्ररोग	01	00	00	00	01
कुल योग		13	06	02	02	23

जूनियर रेसीडेंट

क	विभाग	रिक्त पदों की संख्या				
		UR	ST	SC	OBC	Total
1	टी.बी. एवं चेस्ट	00	01	00	00	01
2	स्किन व्ही.डी.	00	01	00	00	01
कुल योग		00	02	00	00	02

नोट:- आवेदन का प्रारूप शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी एवं विस्तृत विवरण संस्था की वेबसाइट www.nscbmc.ac.in से प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। रिक्त पदों की संख्या घटायी या बढ़ाई जा सकती है। समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्र. एफ-4-7/2010/1/55 दिनांक 28/08/2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसीडेंट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बाँड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में पद पर सेवाएँ देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्त लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति,

वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें

नोट:-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार ।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है । रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है ।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 % पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 % पद विकलांग हेतु आरक्षित है ।
4. सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी ।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता ।

शर्तें- यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. **अवधि:** सीनियर/जूनियर रेसीडेन्ट की सेवा अवधि 3 वर्ष की होगी । इनकी प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी । तत्पश्चात् सेवाएँ संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी ।
2. **नियुक्ति का तरीका:** योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी ।
3. **आवेदन शुल्क:** सीनियर/जूनियर रेसीडेन्ट हेतु रू. 700/- एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रू. 350/- (तीन सौ पचास) राशि का बैंक ड्राफ्ट **मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर** के नाम देय होना चाहिये । बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थियों को पूना नाम, विषय का नाम, पता एवं फोन नं. लिखना आवश्यक है । किसी भी अवस्था में राशि नहीं लौटाई जावेगी ।
4. **शैक्षणिक योग्यता:-**
सीनियर रेसीडेन्ट हेतु:- जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले पांच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस.परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे । एम.डी./एम.एस. उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर डिप्लोमा धारी आवेदकों पर विचार किया जावेगा । पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी चिकित्सकों को डिप्लोमा के उपर वरीयता दी जाएगी । सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं हागी । जिन आवेदकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद म.प्र. प्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी । संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी ।
5. **जूनियर रेसीडेन्ट हेतु:-** जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले तीन वर्ष के अन्दर एम. बी. बी. एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे । जूनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं हागी । जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम. बी. बी. एस. परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद म.प्र. प्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी । संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी ।
5. **यात्रा भत्ता:** साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा ।

अन्य शर्तें:

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी । यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्ट से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा ।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म. प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा ।
4. उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी ।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होंगी ।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथी ही जिस संस्था में कार्यरत हैं उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. उम्मीदवारों को म.प्र. राज्य मेडिकल कॉंसिल अथवा मेडिकल कॉंसिल आफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा । साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय
स्वशासी समिति जबलपुर

सीनियर रेसीडेंट/जूनियर रेसीडेंट पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(आवेदक निम्न प्रारूप अनुसार पृथक कागज पर सुस्पष्ट अंकित आवेदन पत्र प्रेषित करें)

विज्ञापन क्रमांक.....साक्षात्कार तिथि –

आवेदित पद का नाम.....विभाग.....

(सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे)

1. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....दिनांक.....

2. आवेदक का नाम हिन्दी में श्री/श्रीमति/कु./डॉ.

राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित
पासपोर्ट साइज
फोटो यहाँ चस्पा
करें

नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में																			
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. आवेदक (लिंग).....पुरुष/महिला.....

4. पिता/पति का नाम.(उपनाम सहित).....

5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित)

.....शहर का नाम.....फोन.....मोबाईल न.....

(मोबाईल न. एवं फोन एस. टी. डी कोड सहित अनिवार्य रूप से अंकित करें)

6. स्थाई पता

.....शहर का नाम.....फोन.....मोबाईल न.....

(मोबाईल न. एवं फोन एस. टी. डी. कोड सहित अनिवार्य रूप से अंकित करें)

7. जन्म तिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करे) .

8. दिनांक 01/04/2015 को आवेदक की आयु (जन्मतिथि).....दिन.....माहवर्ष.....

9 क्या आप म. प्र. के मूल निवासी हैंहाँ/नहीं

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

10. जन्म स्थान की जानकारी— शहर.....जिला.....राज्य.....

11. वर्ग— सामान्य/अनु. जाति/अनु.जनजाति/अ.पि. वर्ग.....

(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम.....

(मेडिकल काउंसिल के स्थायी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

13. **शैक्षणिक योग्यताएँ** (प्रमाण पत्र एवं अंकसूचि की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि. वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/पूर्णक	प्रतिशत	Attempt

(प्रत्येक वर्ष का पृथक—पृथक भरे)

नोट :- प्रत्येक परीक्षा के प्रयास प्रमाण पत्र (**Attempt-Certificat**) संलग्न करें।

14. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय जनरल्स में प्रकाशनों एवं क्रान्फ्रेंस में पेपर प्रिजेन्टेशन की छायाप्रति (यदि कोई हो) संलग्न करें।

15. अन्य विशेष योग्यता एवं अध्यापन का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची.....

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्ण सत्य है, जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा। मुझ पर म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग स्वशासी समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के संविदा सेवा भर्ती नियम 2000 पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर